राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाऐं

कमांकः–एफ–2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/202983 जयपुर,दिनांकः 28/11/18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
.....।

विषयः– अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018–19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य योजनान्तर्गत निम्न लेखाशीर्ष में अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता हैः–

मांग संख्या–30 2236– पोषण 02– पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 196– जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (04)– समेकित बाल विकास सेवाऐं विभाग के माध्यम द्वारा [02]– जिला स्तरीय संस्थापन व्यय जनजाति क्षेत्र उपयोजना (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)	मांग संख्या–33 2236– पोषण 02– पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण 196– जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (02)– समेकित बाल विकास सेवाऐं विभाग के माध्यम द्वारा [02]- जिला स्तरीय संस्थापन व्यय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क.सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	अति.आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	उनि, बासवाडा	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.10	0.05	0.15
			राज्य निधि	0.30	0.15	0.45
			राज्य निधि–ब	0.10	0.10	0.20
2	,, जयपुर	01. संवेतन	राज्य निधि–ब	16.50	10.00	26.50
3	,, भीलवाडा	05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि–ब	0.90	0.10	1.00
4	,, जालौर	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	4.25	2.50	6.75
			राज्य निधि	12.75	7.50	20.25

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रूल्स 2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के परिपत्र कमांक 121369 दिनांक 15.9.16 के अनुसार कार्यालय व्यय मद अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम के नॉमर्स की सीमान्तर्गत व्यय सीमित रखा जाना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार
जयपुर, दिः 28/11/2018

कमांकः–एफ–2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/202984-85
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार